न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 67 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/76)
पंजीयन दिनांक– 18.02.2021
निर्णय दिनांक– 30.09.2021

1. श्री सोहनसिंह पिता देवीसिंह राजपूत, निवासी अमरपुरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
2. श्री उदयसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत, निवासी अमरपुरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
3. श्री रतनसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत, निवासी अमरपुरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री इन्द्रजीत सिंह पिता श्री उदयसिंह शक्तावत, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।
2. श्री प्रतापसिंह पिता श्री सोहनसिंह राजपुत, निवासी अमरपुरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री महेन्द्र मेनारिया – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या
38 / 2019 निर्णय दिनांक 14.09.2020

निर्णय

दिनांक 30.09.2021

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या 38/2019 निर्णय दिनांक 14.09.2020 के विरूद्ध दिनांक 23.09.2020 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 81 एल. आर. एक्ट के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी की खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम अमरपुरा में स्थित खाता संख्या 56 पर दर्ज आराजी नम्बर 147/2 मीन रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के नवीन खाता संख्या 2 पर अंकित आराजी नम्बर 210 रकबा 0.30 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 220 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.72 हैक्टेयर लगानी 2.28 रू. स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की जिसका नामांतरण संख्या 302 दिनांक 16.02.2013 को रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी के नाम दर्ज किया गया। वक्त सेटलमेंट साबिक आराजी नम्बर 147/2 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 210 रकबा 0.30 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 220 रकबा 0.42 हैक्टेयर दर्ज किये गये जो नक्शा ट्रेस में मौके अनुसार सही अंकन किया गया जबकि हाल जमाबंदी में

आराजी नम्बर 210 का रकबा 0.30 हैक्टेयर के स्थान पर 0.42 हैक्टेयर आराजी नम्बर 220 रकबा 0.42 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.30 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिए, जबकि सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना मौका स्थिति की जांच किये जमाबंदी में रकबा दर्ज कर दिया। अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर साबिक नक्शे अनुसार ही खाते को तरमीम किया जाना न्यायोचित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 38/2019 प्रा. प. निर्णय दिनांक 14.09.2020 से रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.09.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— **"पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। हस्ब जांच व कमीश्नरी रिपोर्ट तहसीलदार, भदेसर के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल. आर. ए. स्वीकार किया जाता है रास्ते की भूमि जो मौके पर जिस स्थिति में है उस स्थिति में रखते हुए प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज मौजा अमरपुरा की आराजी नम्बर 210 रकबा 0.30 का रकबा 0.42 हैक्टेयर एंव आराजी नम्बर 220 रकबा 0.42 हैक्टेयर के स्थान 0.30 हैक्टेयर भूमि राजस्व नक्शा में साबिक नक्शा अनुसार अंकन करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।"**

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र मेनारिया उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित एवं रेस्पोडेंट

संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 24.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या 1 का पडौसी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसे एवं अन्य पडौसियों को बिना सुने आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भी यह वर्णित है कि अपीलांट ने अपना प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है कि उनको उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाना उचित है, उनके प्रार्थना पत्र पर बिना आदेश पारित कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया। सक्षम अधिकरी की दुर्भावना का तो इस बास से पता चलता है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.09.2020 का है और इसी दिनांक की कॉज लिस्ट देखी जावे तो सभी प्रकरणों में एक ही दिनांक 14.10.2020 नियत की गई अर्थात उक्त दिनांक को न्यायालय में कोई कार्यवाही नही हुई थी तथा अकेले उक्त प्रकरण को मन मकसुद तरीके से आदेश पारित कर दिया गया है, जो विधि की दृष्टि में शून्य एवं निष्प्रभावी है। ऐसे आदेश को किसी भी स्तर पर खारिज किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर केम्प पीपलवास, जिला चित्तौड़गढ़ का दिर्णय दिनांक 14.09.2020 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम अमरपुरा में स्थित खाता संख्या 56 पद दर्ज आराजी नम्बर 147/2 मीन रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के नवीन खाता संख्या 2 पर अंकित आराजी नम्बर 210 रकबा 0.30 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 220 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.72 हैक्टेयर लगानी 2.28 रू. स्थित

है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की जिसका नामांतरण संख्या 302 दिनांक 16.02.2013 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया। वक्त सेटलमेंट साबिक आराजी नम्बर 147/2 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 210 रकबा 0.30 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 220 रकबा 0.42 हैक्टेयर दर्ज किये गये जो नक्शा ट्रेस में मौके अनुसार सही अंकन किया गया जबकि हाल जमाबंदी में आराजी नम्बर 210 का रकबा 0.30 हैक्टेयर के स्थान पर 0.42 हैक्टेयर आराजी नम्बर 220 रकबा 0.42 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.30 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिए, जबकि सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना मौका स्थिति की जांच किये जमाबंदी में रकबा दर्ज कर दिया। अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर साबिक नक्शे अनुसार ही खाते को तरमीम किया जाना न्यायोचित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2020 नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर द्वारा दिनांक 14.09.2020 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 के इन्द्राज दुरूस्ती के आवेदन के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा पक्षकार बनने का आवेदन दिनांक 13.07.2020 को किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.07.2020 की आदेशिका में अधीनस्थ न्यायालय ने यह वर्णित किया है कि पत्रावली वास्ते जबाब प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं बहस कमिश्नर की रिपोर्ट पुनः मंगाये जाने पर पत्रावली दिनांक

19.08.2020 को पेश हो। दिनांक 19.08.2020 को अभिभाषक संघ के आवेदन पर कार्य का स्थगन कर तिथि दिनांक 14.09.2020 की तय की गयी। दिनांक 14.09.2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने ऑर्डर 1 नियम 10 जा. दी. का निर्णय किये बिना ही अंतिम निर्णय पारित कर दिया तथा अंतिम निर्णय में भी यह वर्णित किया है कि ''बहस सुनी गयी चूंकि प्रकरण में पूर्व से कमिश्नरी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है उससे अलग हटकर नवीन कमिश्नरी रिपोर्ट मंगाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होने से विपक्षी के तर्क से न्यायालय सहमत नहीं है।'' अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान अपीलाण्ट को पक्षकार संस्थित किये जाने पर भी कोई निर्णय नहीं किया है तथा उन्हें अपने निर्णय में पक्षकार संख्या 2 से 5 विपक्षी के रूप में संस्थित भी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा. दी. के अपीलाण्ट के आवेदन पर उन्हें पक्षकार संस्थित करने के आवेदन पर कोई आदेश नहीं दिया है, न ही उन्हें विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। इसके विपरीत बिना उनके आवेदन स्वीकार करें, उन्हें पक्षकार संस्थित कर दिया है। उनका कोई जबाब नहीं लिया गया तथा न ही उन्हें विधिवत् सुनवाई का अवसर दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट विधिवत् सुनवाई के अपने अधिकार से वंचित रहे हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध प्रतीत होता है, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय व विधि के विपरीत होने से अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय आदेश 1 नियम 10 जा. दी. के तहत प्रस्तुत आवेदन का निर्णय करें एवं यदि आवेदक नवीन पक्षकारों को पक्षकार बनाने योग्य माना जावें तो उन्हें विधिवत् पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर अजसरे नवनिर्णय पारित करें।

उपरोक्त प्रतिप्रेषण निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त निर्देशें की पालना के साथ निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.11.2021 को उपस्थित हों।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर